



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3158]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/आश्विन 4, 1941

No. 3158]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ASVINA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

(आयकर)

का.आ. 3469(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 के का.आ. 2753(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित आयकर की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

- (i) उक्त अधिसूचना में अनुसूची में क्रम सं. 17,31,43,44 तथा 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटाया जाएगा;
- (ii) (क) मद (iii) के बाद कॉलम (4) में क्रम संख्या 15 के सामने और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अन्तःनिहित की जाएंगी नामतः:-
 - (i) “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-6”
- (ख) मद (iii) के बाद कॉलम (4) में क्रम संख्या 16 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टि में, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः:-
 - (i) “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पुडुचेरी”
- (ग) मद (ii) के बाद कॉलम (4) में क्रम सं. 29 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः:-
 - (i) “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-24”

(घ) मद (ii) के बाद कॉलम (4) में क्रम सं. 30 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित एवं अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(i) “(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-23”

(ii) (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-9”

(ङ.) मद (iii) के बाद कॉलम (4) में क्रम सं. 38 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(i) “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त कोलकाता-11”

(च) मद (ii) के बाद कॉलम (4) में क्रम संख्या 39 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(ii) “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-13”

(छ) मद (iii) के बाद कॉलम (4) में क्रम संख्या 40 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(i) “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-15”

(ज) मद (ii) के बाद कॉलम (4) में क्रम सं. 41 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(i) “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-17”

(झ) मद (iii) के बाद कॉलम (4) में क्रम सं. 42 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(i) “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-18”

(ii) “(v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-21”

(iii) “(vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बर्धवान”

(iv) “(vii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सिलिगुड़ी”

(ञ) मद (iii) के बाद कॉलम (4) में क्रम सं. 53 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(i) “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त मुम्बई-34”

(ट) मद (iii) के बाद कॉलम (4) में क्रम संख्या 56 के सामने तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी नामतः-

(i) “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-32”

(ii) “(v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-33”

2. इस अधिसूचना को 17 सितम्बर, 2019 से लागू होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 73/2019 फा. सं. 187/7/2019-आईटीए-]]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 51/2014 दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को का.आ. 2753(अ) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित किया गया था।